



सर्वे सुखे सुखम्  
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय: भारत सरकार)

[Ministry of HRD Deptt of Education, Govt. of India]

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर Regional Office, Raipur

(Kendriya Vidyalaya.No.2, Raipur Campus)

Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar Raipur (CG)-492010

Website: www.kvsroraipur.org

E-mail:- 1. dckvsrorpr@gmail.com 2. ackvsrorpr@gmail.com

Tel :- 0771-2262912(DC), 2262913 (AC), 914-916, Fax - 0771-2262911

फ. 32099 / 2020 / के.वि.सं.(सं.का.) / एमएसीपी / आर.पी.आर. / 2707-2784 दिनांक: 28.08.2020

## कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति-2020 (DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE -2020) बैठक दिनांक 19.08.2020 में की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित विभिन्न श्रेणी के गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (सहायक अनुभाग अधिकारी / प्रवर श्रेणी लिपिक / अवर श्रेणी लिपिक / सब स्टाफ) जिनके विवरण नीचे (क) में दिये गये हैं, उनके संबंधित वर्ग में उनके नाम के सामने कालम संख्या 06 में दर्शायी गई तिथि से संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति योजना (Modified Assured Career Progression Scheme) के तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय वित्तीय उन्नयन (Financial Up-gradation) एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

FR 22 (1)(a) (1) 1 के अन्तर्गत वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद जो भी उनके लिए फायदेमंद हो संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं। इस संबंध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा।

(क) विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्न गैर शैक्षिक कर्मचारियों को उनके पिछले 05 वर्षों का वार्षिक गोपनीय आख्या / वार्षिक कार्य निष्पादन निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी)(MACP) के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन स्वीकृति प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाया है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	केवि0 का नाम	मिलने वाली एमएसीपी	स्वीकृत की तिथि	टिप्पणी
1	RAJENDRA KUMAR VAISHNAV	सब-स्टाफ	BILASPUR	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	15.03.2020	
2	RAMESH CHANDRA SAHU	सब-स्टाफ	No.2 KORBA (NTPC)	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	25.11.2019	
3	BALKRISHNA KHUNTE	सब-स्टाफ	No.2 KORBA (NTPC)	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	26.03.2020	
4	SOHAN LAL YADAV	सब-स्टाफ	KVS RO RAIPUR	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	01.11.2019	



5	RAMRATAN GOND	सब-स्टाफ	JANJGIR	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	NOT GRANTED	APAR grading for the year 2016-2017 and 2017-18 are below the benchmark of "Very Good" for grant of MACP.
6	CHANDRA KUMAR MEHAR	सब-स्टाफ	CISF BHILAI	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	NOT GRANTED	APAR grading for the year 2016-17 and 2018-19 are below the benchmark of "Very Good" for grant of MACP.
7	RAM KUMAR SAHU	सब-स्टाफ	No.2 RAIPUR	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	NOT GRANTED	APAR grading for the year 2017-2018 is below the benchmark of "Very Good" for grant of MACP.
8	RADHE SHYAM YADAV	सब-स्टाफ	Korba -III (Kusmunda)	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	NOT GRANTED	APAR grading for the year 2016-17 is below the benchmark of "Very Good" for grant of MACP.
9	GANGA RAM CHIHTOL	सब-स्टाफ	JHAGRAKHAND	IIIrd MACP Level 4 (Rs. 25500-81100)	NOT GRANTED	APAR grading for the year 2016-17 and 2017-18 are below the benchmark of "Very Good" for grant of MACP.

कुल : 9 प्रकरण

*Levy*  
28/08/2020  
(चंदना मंडल)  
उपायुक्त

वितरण :-

1. संबंधित कर्मचारीगण।
2. प्राचार्य संबंधित विद्यालय से अनुरोध है कि इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके उनके विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। कृपया संबंधित कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करें तथा उसे अपने हस्ताक्षर व मोहर के साथ सत्यापित अवश्य करें और इस आदेश की एक प्रति कर्मचारी की व्यक्तिगत पंजिका में फाईल करें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा किया जाएगा। अतः वेतन निर्धारण के लिए संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मय वेतन स्थिरीकरण का प्रस्ताव व विकल्प के साथ इस कार्यालय को भेजें। उपर्युक्त कर्मचारियों के पास एम.ए.सी.पी. का लाभ पाने के लिए एक माह का समय होगा कि वे एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ पाने के लिए एम.ए.सी.पी. स्वीकृत होने की तारीख अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं। विद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर कर्मचारियों को एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है अतः उपर्युक्त आदेश से मिलान करें। अगर कोई विसंगति (If any absence/ Die-Non period/Debarment period/ currency of penalty etc.) पाई गई तो तुरंत इस कार्यालय को अवगत कराएं। वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन एवं भत्तों के बकाया का भुगतान करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस लिया जाएगा।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त प्राचार्य केविसं० क्षेत्रा० रायपुर के अंतर्गत।
7. सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक संघों के सचिव एवं अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।